(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष -- एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1096–पीबीआर/2004 – विरुद्ध – आदेश दिनांक 29–2–1992– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण नम्बर 70/1989–90 अपील

1– टीकाराम उर्फे राजकुमार पुत्र महाराजसिंह
2– श्रीमती रामाबाई मृतक पत्नि स्व महाराज सिंह
वारिस मुन्ना उर्फे राधेलाल पुत्र महाराज सिंह
निवासी खुजैंवाला मोहल्ला तौलतगंज
लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरुद्ध

1– छिद्दी मृतक वारिस
राजमन पुत्र माखनलाल ब्राहमण
ग्राम कल्लू का पुरा मौजा कमतरी
तहसील अम्बाह जिला मुरैना
2– रामस्वरूप मृतक वारिस
श्रीमती कमलाबाई मृतक होने से नाम
कम किया गया। ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श
(आज दिनांक 21 –11– –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण नम्बर 70/1989–90 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–2–1992 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सार यह है आवेदकगण ने नायब तहसीलदार अम्बाह

के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उनके प्रकरण कमांक 5/83-84 अ 46 में 1-2-84 को राजीनामे के आधार पर गलत आदेश पारित हुआ है जबकि उनके व्दारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है फर्जी व्यक्ति खड़ा करके राजीनामे पर हस्ताक्षर व निशानी अँगूठे लगाये गये हैं इस कारण आदेश निरस्त किया जावे। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 1/88-89 अ 6 अ पंजीबद्व किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 20-5-89 पारित करके आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने प्रकरण नंबर 69/88-89 अपील में आदेश दिनॉक 16-1-90 पारित किया तथा अपील अमान्य कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील की गई। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण नम्बर 70/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-2-1992 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों तथा आदेशों में लिखे गये विवरण से पाया गया कि आवेदक ने नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी थी कि प्रकरण कमांक 5/83-84 अ 46 में आदेश दिनॉक 1-2-84 गलत राजीनामे के आधार पर पारित हुआ है इसलिये आदेश दिनॉक 1-2-84 निरस्त किया जावे। स्थिति यह है कि क्या नायब तहसीलदार स्वयं व्दारा पारित आदेश दिनांक 1-2-1984 को आवेदक के आवेदन पर निरस्त कर सकते हैं ? नायब तहसीलदार का आदेश दिनॉक 1-2-1984 अंतिम आदेश है जो अपील योग्य है। यदि नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 5/1983-84 अ-46 में आवेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय करके अंतिम आदेश 1-2-1984 को पारित कर

दिया, तब नायब तहसीलदार एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने एवं आदेश दिनॉक 1--2--1984 में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं रखते हैं क्योंकि आदेश दिनांक 1-2-84 अंतिम आदेश होने से अपील योग्य है , किन्तु आवेदक ने अपील योग्य आदेश की अपील न करते हुये नायब तहसीलदार को त्रुटिपूर्ण ढंग से आवेदन प्रस्तुत करके अनुचित मांग की है जिसे नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 1/88--89 अ 6 अ में आदेश दिनांक 20--5-89 पारित करके ठीक ही निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने आदेश दिनांक 16-1--90 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनॉक 29-2--92 पारित करते समय नायब तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में दिये गये विवरण एवं निष्कर्ष समरूप होना पाये जाने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण नम्बर 70/1989--90 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-2-1992 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर